न्यायालय तहसीलदार बयाना (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी—श्री गिर्राज प्रसाद बंसल तहसीलदार बयाना)

प्र0स0 80/19 ता0 रजु. 25-9-19 किस्म मुकदमा 91 एलआर एक्ट निर्णय दिनाक 30-9-19

....

सरकार

बनाम

साधूराम पुत्र शंकर जाति धाकड़ नि० खोदरा

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। पटवारी हल्का खोदरा ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की है कि ग्राम खोदरा के खसरा न0 611/1559 रकवा 0.64 हैक्ट में से रकवा 0.01 हैक्ट किस्म भूमि गै०मु० रास्ता पर सम्वत 2076 में श्री साधूराम पुत्र शंकर जाति धाकड़ नि० खोदरा तह0 बयाना ने बाजरा की फसल कर अतिकमण कर लिया है।

हल्का पटवारी रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। जो शामिल मिसिल है। अप्रार्थी न्यायालय हाजा में उपस्थित /अनुपस्थित हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन उपरान्त न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अप्रार्थी के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही अमल में लायी जाना आवश्यक है। अतिकमी द्वारा राजकीय गै०मु०रास्ता .... भूमि पर विधि विरुद्ध अतिकमण किया जाना साबित होता है अतः अतिकमी को अतिकमित आराजी से बेदखल करना राज्यहित में आवश्यक है।

अतः आदेश है कि अतिकमी के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही कर अतिकमित खसरा नम्बर 611/1559 .... रकवा 0.01 हैक्ट वाके ग्राम खोदरा से बेदखल किया जाता है। लगान 0.04 का 50 गुणा पैनल्टी राशि 2/— रूपये से दण्डित किया जाता है। पैनल्टी की मांग कायमी टी0आर0ए0 हाजा से कराई जावे। पैनल्टी वसूली खडी फसल को कब्जेराज लेकर फर्द नीलामी/अवैध कब्जा/ बेदखली बाबत् हल्का पटवारी/गिरदावर को आदेश जारी हों।

पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तकमील नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक ..... 30-9-19 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार
बयाना (भरतपुर)

इस पत्रावली का माग सामान्य
रा. जे. सं. 04 के पेज नं. 25
दिनांक 14.10.19 को वर्ष 2019-20 में
पैनल्टी रु. 2 फसल नीलामी
रु. .... की जा चुकी है।

तहसील राजस्व लेखाकार
तहसील बयाना